

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *173
TO BE ANSWERED ON 22ND DECEMBER, 2022**

GUIDELINES FOR UPLINKING AND DOWNLINKING OF TELEVISION CHANNELS

***173. SHRI DEREK O' BRIEN**

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

- (a) whether Government has specific parameters to decide about the content that will be considered 'content of national interest' in the light of the Ministry's recent 'Guidelines for Uplinking and Downlinking of Television Channels';
- (b) if so, details thereof and if not, the reasons therefor;
- (c) Whether Government has a committee which will be reviewing such content;
- (d) if so, the manner in which the members of this committee are selected and if not, the manner in which the content will be reviewed;
- (e) the purpose Government would like to achieve with the airing of such content; and
- (f) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

ANSWER

**THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER
OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
{ SHRI ANURAG SINGH THAKUR }**

(a) to (f): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (f) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *173 FOR ANSWER ON 22.12.2022

(a) to (d) : The Clause 35 of the Policy Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, 2022 provides that a company/LLP having permission under these guidelines for uplinking a channel and its downlinking in India may undertake public service broadcasting for a minimum period of 30 minutes in a day on themes of national importance and of social relevance, including the following, namely —

- (i) education and spread of literacy;
- (ii) agriculture and rural development;
- (iii) health and family welfare;
- (iv) science and technology;
- (v) welfare of women;
- (vi) welfare of the weaker sections of the society;
- (vii) protection of environment and of cultural heritage; and
- (viii) national integration

The above list is not exhaustive and other themes which are of national importance and of social relevance may also qualify for being accounted under Obligation for Public Service Broadcasting.

(e) & (f) : The objective of this process is to spread greater awareness on the themes of national importance and of social relevance under obligation of public service broadcasting.

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *173
(दिनांक 22.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश

173. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी 'टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश' के आलोक में 'राष्ट्रीय हित की विषय-वस्तु' मानी जाने वाली विषय-वस्तु के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार के विशिष्ट मानदंड हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार की कोई समिति है जो ऐसी विषय-वस्तु की समीक्षा करेगी;
- (घ) यदि हाँ, तो इस समिति के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है और यदि नहीं, तो विषय-वस्तु की समीक्षा किस प्रकार की जाएगी;
- (ङ) इस प्रकार की विषय-वस्तु के प्रसारण से सरकार किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 22.12.2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *173 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2022 के खंड 35 में यह प्रावधान है कि भारत में किसी चैनल की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवा प्रसारण कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) शिक्षा और साक्षरता का प्रसार;
- (ii) कृषि और ग्रामीण विकास;
- (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;
- (iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
- (v) महिलाओं का कल्याण;
- (vi) समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण;
- (vii) पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा; और
- (viii) राष्ट्रीय एकीकरण

उपरोक्त सूची व्यापक नहीं है और अन्य विषय जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के हैं, वे भी लोक सेवा प्रसारण के दायित्व के तहत माने जाने के लिए पात्र हो सकते हैं।

(ङ) और (च): इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोक सेवा प्रसारण के दायित्व के तहत राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों के संबंध में जागरूकता का अधिक प्रसार करना है।

DR. ANBUMANI RAMADOSS: Sir, of late, there has been a surge in surrogate advertisements of alcohol and tobacco products on television, especially for sports programme. These companies spend thousands of crores of rupees surrogately advertising their products like music CDs, drinking water, glassware, etc., using words like 'keep walking', 'make it large' and so on. I would like to ask the hon. Minister, what are the steps being taken by the Government to prevent these illegal surrogate advertisements, which are ruining our future generations who are getting addicted to alcohol and tobacco.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the hon. Member has raised a very relevant question. I have seen him taking up this issue in the past also, asking for a ban on cigarettes and other such products. On the specific issue about surrogate advertisement, from time to time, the Government has been issuing notices to those companies, not only on television but also on the OTT platform. We have issued notices to them.

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में अश्लील चित्र दिखाने वाले कितने चैनल्स हैं और उन पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

MR. CHAIRMAN: Q. No. 174; Shri Anil Desai, not there; Shri Kartikeya Sharma.